FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

केसी बनाम भेराराम धर्मा (?)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 270/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.8.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RCR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/9/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
11/09/19	अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई, प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 16/10/19 को पेश हो। [signature]	
16/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। विप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5-45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन	

[signature] 16.10.2019

Scanned by CamScanner

कीया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतो के मेढ़ के विपक्षीगणो के खातेदारी खेत आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के सेढ़ो पर जो पुरानी माडे व कणे थे जो वर्तमान मे आंधियो की वजह से बिखर गये है। जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के सेढ़ो का सही ज्ञान नही हो रहा है। तथा सेढ़ो पर किसी प्रकार की कोई कच्ची पक्की माड या चिन्ह आदी नही होने से विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती सेढ़ा तोड़ देते है। एवम् उर्पात होने पर काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य सेढ़ो को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थी इस कारण अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेछ्यमबन्दी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेछ्यमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर नेछ्यमबन्दी आदेश कीया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेछ्यमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कीसी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेछ्यमबन्दी मौके पर शुल्क जमा करवाकर करे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली कौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

16.10.2015

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

वाद / 2019 / 760 दिनांकः– 16/10/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
केसी पुत्री चुनाराम जाति जाट निवासी टांकेलियासरा		भैराराम पुत्र हुकमाराम वगैरा निवासी टांकेलियासरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 270 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धतरवालों का सरा पटवार हल्का छीतर का पार तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 499 / 266,रकबा 06.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखनबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0रा0 अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रुपये 500 / – जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 761-65 दिनांकः– 16/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री केसी पुत्री चुनाराम
4. विप्रार्थीगण भैराराम पुत्र हुकमाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु / गिडा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.20 17:25:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: